

FORM NO.III

2022/504

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी
जमनालाल

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

STM

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 304/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

14/06/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती जमनालाल

पिता श्री भैरा जी जोई R/O धोसुण्डा वार्ड (8)

निवासी- धोसुण्डा

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

धोसुण्डा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1250

कुल कीता 1 कुल रकबा 1.0800 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम धोसुण्डा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1250

कुल कीता 1 रकबा 1.0800 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000.00 रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(जमनालाल)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)